जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 27.11.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3302 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3302 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत डीघा बाइपास से इवेंट सं0 **33723** द्वारा कालर ने सड़क दुर्घटना होने के कारण घायल 01 व्यक्ति (1. अनिल सिंह पुत्र रामवचन निवासी रजरौली थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सड़क दुर्घटना में घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 गुरुबचन, हो0चा0 अशोक।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 139 वाहनों से 1,40,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 27.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 139 वाहनों से 1,40,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामलें में अभियुक्तगण को 01-01 वर्ष के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाये रखने हेतु नियमानुसार अवमुक्त किया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास से फलस्वरूप आज दिनांक 27.11.2024 को ****मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट संतकबीरनगर*** द्वारा ***थाना मेंहदावल*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 147/2009 धारा 323,504,506,452 भादवि व 3(1)X SC/ST Act से सम्बन्धित **अभियुक्तगण 01. रामविलास पुत्र कौलेसर 02. खेताहु पुत्र रामविलास निवासीगण सिहरहट** थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को उनके विरुद्ध लगाये आरोप धारा 323,504,506,452 भादवि में दोषसिद्ध किया जाता है अभियुक्तगण रामविलास व खेताहु को उनके विरुद्ध लगाये आरोप अन्तर्गत धारा 3(1)X SC/ST Act में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण रामविलास व खेताहु प्रत्येक को 01-01 वर्ष की अवधि के लिए सदाचरण कायम रखने हेतु निम्न शर्ते पर छोड़ जाता है।

“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप दिनांक 27.11.2024 को ***सी0 जे0 (जे0 डी0)/ जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 241/2016* धारा 429 भादवि व 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के मामलें में अभियुक्त नाम पता फौजदार पुत्र रामलाल निवासी बढ़या खैरहवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त फौजदार को धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 429 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस के कारावास की सजा दी जाती है।